classmate
Date
Page

Social Security -(3).

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय
Social Security Measures in India.

भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय सरकार द्वारा ही विभिन्न अधिनियमों के पारित करने के रुप में किये गए हैं। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम लागू हैं:

(1) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 →

भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह पहला प्रयत्न था जबकि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पास कर लागू किया गया। यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको या उसके आश्रितों को इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। अब यह अधिनियम संस्था के सभी श्रमिकों पर लागू होता है चाहे उनका वेतन कितना ही क्यों न हो। वे श्रमिक जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कोई आश्रित लाभ या अयोग्यता लाभ पाने के अधिकारी हैं उन्हे भी क्षतिपूर्ति संशोधित अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

Scanned by CamScanner

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 :-
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम उन सभी गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है जिनमें शक्ति के साथ 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं या बिना शक्ति के 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। यह अधिनियम सिनेमा, दुकानों, होटलों, मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, आदि पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को लाभ मिलता है जिनका वेतन ₹.500 रुपये से अधिक नहीं है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं
(i) बीमारी लाभ (ii) प्रसूति लाभ
(iii) अपंगता लाभ (iv) आश्रित लाभ
(v) चिकित्सा सुविधा।

इस योजना का प्रबंधन स्वयं शासित निगम द्वारा किया जाता है जिसके 37 सदस्य हैं जो सरकार, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 सदस्यों की एक कार्यवाहक समिति है। इस निगम

Scanned by CamScanner

की आय सरकारी अनुदान एवं श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के चन्दे से होती है। श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले चन्दा वेतन का 1.5% प्रतिमाह है। मालिक द्वारा भी श्रमिक के वेतन के आधार पर चन्दा वेतन का 4 प्रतिशत दिया जाता है।

To be continued.

Thank You..

Scanned by CamScanner